

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

सतेन्द्र कुमार बनाम निर्मल चन्द आदि

धारा अन्तर्गत 88, 188, 53 आरटीए मुकदमा नं. 34/2017

निर्णय दिनांक :- 01.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री युधिष्ठिर सिंह सैनी पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 1 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 119/97 के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18/2 के 0.025 हैक्टर, किला नम्बर 19 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 20/1 के 0.178 हैक्टर कुल 0.456 हैक्टर नहरी भूमि के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18/2 के 0.075 हैक्टर, किला नम्बर 19 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 20/1 के 0.178 हैक्टर कुल 0.506 हैक्टर नहरी भूमि का खातेदार वादी सतेन्द्र कुमार पुत्र परमानन्द को घोषित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 01.11.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
{राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 407
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
{राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 01/11/2021

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
{राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्री करणपुर

